सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

पंचायती राज विभाग
जनपद ज्योतिबाफूले नगर

(ओमप्रकाश सिंह)
सचिव/
जिला पंचायत राज अधिकारी
जिला स्वच्छता समिति
ज्योतिबाफूले नगर।

(आर0एस0 यादव)
उपाध्यक्ष/
मुख्य विकास अधिकारी
जिला स्वच्छता समिति
ज्योतिबाफूले नगर।

(संजय कुमार)
अध्यक्ष/
जिलाधिकारी
जिला स्वच्छता समिति
ज्योतिबाफूले नगर।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

पृष्ठ भूमि

समुदाय एवं किसी व्यक्ति के लिए पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बीच सीध सम्बन्ध है। अशुद्ध पेयजल, मानव मल का अनुचित ढंग से निस्तारण, गंदा वातावरण एवं अस्वास्थ्यकारी आदतों के कारण अनेक बीमारियाँ पैदा होती हैं तथा लाखों व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं जिसमें सर्वाधिक संख्या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होती है। वर्ष 1996–97 में इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन द्वारा ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में अध्ययन करने पर पाया गया कि 55 प्रतिशत परिवारों ने स्वयं ही प्रेरित होकर शौचालयों का निर्माण कराया है तथा केवल 2 प्रतिशत परिवारों ने ही अनुदान से प्रेरित होकर शौचालय बनवाया है। इस प्रकार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान से अधिक जागरूकता पैदा करने को महत्व दिया गया है ताकि ग्रामीण परिवार स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करें।

उद्देश्य

क) स्वच्छता के विभिन्न घटकों के प्रति समुदाय में जागरूकता पैदा करवाना।
ख) समुदाय को स्वच्छता सुविधाओं के प्रति उनके उत्तरदायित्व को ग्रहण करने हेतु जागरूक बनाना तथा उनका रखरखाव व्यवस्थित करवाना।
ग) सभी परिवारों द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों का प्रयोग करना।
घ) सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय एवं मूत्रालय के साथ हाथ धोने की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
ड़) खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना।
च) मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना।
छ) अस्वच्छ वातावरण एवं गन्दे पानी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करवाना।
ज) बाल मृत्युदर में कमी लाना।
झ) ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर/शैली में गुणात्मक सुधार लाना।

स्वच्छता के सात आयाम

- पेयजल का सुरक्षित रखरखाव
- बेकार पानी की उचित निकासी
- मानव मल का सुरक्षित निपटान
- कूड़ा करकट का उचित निपटान
- घर एवं भोजन की स्वच्छता
- व्यक्तिगत स्वच्छता
- पर्यावरणीय स्वच्छता

गतिविधियां

अभियान के सफलतापूर्वक संचालन हेतु निम्नलिखित गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है :–

- जिला स्वच्छता समिति के अधीन जिला स्वच्छता प्रकोष्ठ की स्थापना
- प्रारम्भिक गतिविधियां
- मांग सृजन हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां
- क्षमता विकास की गतिविधियां
- व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण तथा समुदाय को विभिन्न तकनीकी विकल्प प्रदान करना
- शौचालय निर्माण सामग्री की उपलब्धता
- स्कूल स्वच्छता
- आंगनबाड़ी स्वच्छता
- सामुदायिक शौचालयों का निर्माण
- अर्न्तविभागीय समन्वय
- कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
- प्रोत्साहन एवं पुरस्कार

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के घटक

1. प्रारम्भिक गतिविधियां
2. सूचना शिक्षा व प्रसार
3. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण
4. सामुदायिक शौचालय निर्माण
5. स्कूल स्वच्छता
6. आंगनबाड़ी स्वच्छता
7. स्वच्छता केन्द्र सेवा/उत्पादन केन्द्र
8. प्रशासनिक मद

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।

व्यक्तिगत शौचालय :–

सम्पूण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक है इस घटक के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण आंचलों में निवास करने वाले ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हों तथा उनके पास शौच के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है को अंकन 1500/– रूपये प्रति शौचालय अनुदान धनराशि की दर से ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। भारत सरकार की निर्देशिका के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की लागत 1900/– रूपये निर्धारित की गयी है। जिसमें केन्द्र सरकार के अंश के रूप में 900/– रूपये राज्य सरकार के अंश के रूप में 300/– रूपये तथा विशेष प्रोत्साहन धनराशि जोकि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है के रूप में 300/– रूपये कुल मिलाकर 1500/– का शासकीय अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण करने वाला लाभार्थी लाभार्थी अंश के रूप में 400/– रूपये निर्माण कार्य में लगाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में निवास करने वाले ऐसे परिवार जो कि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं परन्तु निर्धन होने के साथ संशाधनों की कमी के कारण शौचालय का निर्माण नहीं करा सकते हैं को सरकार उक्त दर पर ग्राम पंचायत के कुल ए0पी0एल0 परिवारों की संख्या के 10 प्रतिशत परिवारों को विशेष प्रोत्साहन राशि के रूप में ग्राम पंचायत के माध्यम से शौचालय निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराती है। व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु अनुदान धनराशि प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत को ऐसे लाभार्थियों को ग्राम प्रेरक के माध्यम से चिन्हित करना पड़ता है। जिनके पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं (बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड धारक) के शौचालय मांग पत्र भरवाकर, जोकि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, सहा0 विकास अधिकारी (पं0) या ग्राम पंचायत अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है को कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पं0) की संस्तुति के उपरान्त में जमा किया जाता है जिसके आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय ग्राम पंचायत के माध्यम से लाभार्थी को शौचालय निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराता है तथा ग्राम पंचायत लाभार्थी को शौचालय की धनराशि का भुगतान दो किस्तों में करती है।

व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के मानक :–

☞ लाभार्थी द्वारा दरवाजे एवं छत का निर्माण स्वयं करायेगा लाभार्थी अधिक धनराशि लगाकर उच्च कोटि का सुपर स्ट्रक्चर बनवाने के लिए स्वतंत्र होगा परन्तु भूमि के भीतर की तकनीकि में कोई फेर बदल नहीं किया जायेगा।

☞ सोखता गड्डे की गहराई किसी भी दशा में 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। गड्डा खोदते समय गड्डा एकदम सीधा तथा ठीक 1 मीटर व्यास का होना चाहिए। जिससे सीधी चिनाई की जा सके।

☞ शौचालय को निर्माण जल स्रोत से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर किया जाना चाहिए। शौचालय का निर्माण नीचे स्थानों जहां पानी इकट्ठा होता हो आदि में नहीं किया जाना चाहिए। शौचालय ऐसी जगह निर्मित किया जाना चाहिए जहां साल भर विशेष रूप से बरसात तथा किसी भी समय इस्तेमाल हेतु जाया जा सके।

☞ शौचालय में हमेशा रूरल पैन (शीट) का प्रयोग करना चाहिए तथा जक्शन चैम्बर का निर्माण अवश्य कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोशनदान की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।

स्कूल स्वच्छता एवं आरोग्य शिक्षा

उद्देश्य :– उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक दोनों को मिलाकर ग्रामीण विद्यालयों की संख्या 1 लाख से अधिक जिसमें लगभग 1 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चें हैं। लगभग 70 प्रतिशत विद्यालय भवनों में ही स्वच्छता सुविधाऐं उपलब्ध हैं। जिन विद्यालयों में जल एवं स्वच्छता सुविधाऐं उपलब्ध हैं वह भी अधिकतर निम्नलिखित कमियों/समस्याओं से ग्रस्त हैं –

☞ छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक से शौचालय एवं मूत्रलाय का ना होना।

☞ जल आपूर्ति तथा हाथ धोने की सुविधाओं का नहीं होना या कमी होना।

- ☞ शौचालयों को बच्चों विशेषकर लड़कियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया गया है।
- ☞ टूटी–फूटी पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाऐं।
- ☞ बच्चों में अस्वास्थ्य कर और हाथ नहीं धोने की गलत आदतें।
- ☞ बच्चों में स्वास्थ्यप्रद शिक्षा का अभाव।
- ☞ अस्वास्थ्यप्रद और गन्दे कक्ष तथा विद्यालय परिसर।
- ☞ उपलब्ध सुविधाओं का खराब संचालन एवं अव्यवस्थित रखरखाव।

<u>सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्कूल स्वच्छता की आवश्यकता</u>

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सभी सरकारी ग्रामीण स्कूलों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है तथा साथ ही साथ सहशिक्षा स्कूलों में छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय खण्ड से आच्छादित करना है ग्रामीण स्कूल स्वच्छता समुदाय द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से अपनाने से प्रवेश बिन्दू हो सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में स्कूल स्वच्छता आच्छादन के निम्न उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है।

- ☞ स्कूल में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाऐं मुहैया कराना जिससे बचपन से ही बच्चे सुविधाओं का इस्तेमाल करें तथा ऐसा करने की आदत डालें।
- ☞ छात्र/छात्राओं द्वारा शौचालय व मूत्रालय का प्रयोग करना उचित समय (खाने से पहले तथा शौचालय उपयोग के बाद) पर हाथ धोने तथा छात्र, छात्राऐं मिलकर सहभागिता से जल एकत्रित करना और शौचालय साफ करने को प्रेरित करना।
- ☞ हाईजीन एजूकेशन द्वारा स्वच्छता व्यवहार में परिवर्तन तथा इसे घर समुदाय से जोड़ना।
- ☞ स्कूल में एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जिसमें एक बार सृजित सुविधाओं का बिना किसी बाहरी सहयोग के रखरखाव हो सके।
- ☞ स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिये सभी स्टेक होल्डर विशेषकर अध्यापक, पी0टी0ए0, पंचायतीराज संस्थायें आदि की क्षमता का विकास करना।

<u>स्कूल स्वच्छता एवं आरोग्य शिक्षा हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में प्राविधान</u>

घटक के महत्व को देखते हुए टी0एस0सी0 में इसका विशेष प्राविधान किया गया है जो निम्नवत् है :–

- ☞ प्रति शौचालय रू0 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये मात्र) की अनुमानित ईकाई लागत है। सह शिक्षा स्कूलों में दो ईकाईयों का निर्माण किया जाना है जिस पर रू0 40,000/– (चालीस हजार रूपये मात्र) धनराशि का अनुदान दिया जायेगा।
- ☞ ग्राम पंचायत स्वयं के पास उपलब्ध धनराशि से शौचालय एवं बच्चों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त मूत्रालयों का निर्माण करा सकती है।
- ☞ ग्राम पंचायत उपलब्ध संशाधनों से शौचालय में जल आपूर्ति की व्यवस्था कर सकती है।
- ☞ टी0एस0सी0 की कुल निधी से 10 प्रतिशत से अधिक की धनराशि स्कूल स्वच्छता के लिए प्रयोग की जा सकती है। हाईजीन एजूकेशन के लिए आई0ई0सी0 घटक में प्रयुक्त धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

<u>स्कूल स्वच्छता एवं आरोग्य शिक्षा के घटक</u>

1. **निर्माण कार्य** – विद्यालय परिसर में उपलब्ध पेयजल, हैण्डवाशिंग एवं शौचालय सुविधाओं का सम्पूर्ण पैकिज है।
2. **हाइजीन एजूकेश** – स्वास्थ्य एवं हाइजीन की गतिविधियों की प्रोन्नति करना जिससे स्कूल में, स्कूल के स्टाफ में तथा छात्रों की आदतों में सुधार हो तथा जलजनित बीमारियों को रोकने में मदद मिले।

प्रत्येक घटक में कुछ विशिष्ट गतिविधियां होती है जिसे नियोजन तथा क्रियान्वयन स्तर पर किया जाता है। घटकों का विस्तृत गतिविधिवार विवरण निम्नवत् है :–

<u>निर्माण कार्य –</u>

- ☞ सभी सरकारी ग्रामीण स्कूलों (प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक) में टी0एस0सी0 के अन्तर्गत शौचालय निर्माण, सभी सहशिक्षा स्कूलों में छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक शौचालय एवं मूत्रालय खण्डो से आच्छादित करना प्रत्येक शौचालय खण्ड में एक शौचालय, दो मूत्रालय, जल भण्डारण तथा हैण्ड वाशिंग की सुविधा।
- ☞ सभी स्कूलों पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।
- ☞ सभी विद्यालयों में हैण्डवाशिंग की सुविधा तथा स्वच्छता सामग्री जैसे – बाल्टी, मग, साबुनदानी, ब्रश, पेयजल, भण्डारण हेतु पानी के टैंक के साथ फोर्सलिफ्ट हैण्डपम्प की व्यवस्था।
- ☞ बेकार पानी की निकासी हेतु नाली एवं सोखता गड्डा निर्माण।
- ☞ कूड़ा गड्डा, सोखता गड्डा, मिड–डे–मील भण्डारण की व्यवस्था करवाना।
- ☞ पूर्व निर्मित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का जीर्णोद्धार एवं रखरखाव।

☞ विद्यालय भवन में लीकेज, दरार और टूट–फूट को चिन्हित कर उनकी मरम्मत कराना।

☞ निर्माण तथा तकनीकि गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

<u>निर्माण कार्य में प्रस्तावित कार्य</u>

सभी स्कूलों को शौचालय से आच्छादित करते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना है :–

1. सभी स्कूलों में शौचालयों तथा मूत्रालय की सुविधा हो।
2. सभी सहशिक्षा स्कूलों में छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक शौचालय खण्ड अनिवार्य जिसका द्वार पृथक दिशा में होना चाहिए।
3. प्रत्येक खण्ड में कम से कम एक शौचालय तथा दो मूत्रालय आवश्य होने चाहिए।
4. शौचालय एवं मूत्रालय को बदबू रहित करने के लिए सिरेमिक टाइल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।
5. शौचालय में रोशनी तथा हवा के लिये रोशनदानों की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
6. सभी शौचालयों में हैण्ड वाशिंग की सुविधा होनी चाहिए।
7. शौचालय के साथ जल भण्डारण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
8. शौचालय में पानी की आपूर्ति व्यवस्था होनी चाहिए।
9. शौचालय में छोटे छात्रों को ध्यान में रखते हुए बैठ कर पकड़ने की ऊंचाई पर हैण्डल लगा देना चाहिए।
10. छात्राओं के शौचालय प्रयोग में सुविधा हेतु खण्ड के भीतर दुपट्टा आदि को टांगने आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
11. दरबाजे की सिटकनी खोलने में आसान तथा छात्र सुलभ ऊंचाई पर होनी चाहिए।
12. शौचालय को जाने वाला रास्ता साफ–सुथरा तथा अच्छा होना चाहिए।
13. शौचालय निर्माण कराते समय छात्राओं की सुरक्षा तथा प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
14. जूनियर हाई स्कूल या ऊपर के सह शिक्षा विद्यालयों छात्राओं के शौचालय खण्ड से लगा हुआ इन्सीनरेटर का निर्माण कराया जाना चाहिए।

<u>हाईजीन एजूकेशन</u>

☞ स्कूल का आधारभूत सर्वेक्षण (बेस लाइन सर्वे) छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा समुदाय के सदस्यों के साथ सहभागी मूल्यांकन।

☞ अर्न्तविभागीय समन्वय– जिला स्वच्छता समिति, डी.आर.डी.ए., जल निगम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्राम विकास, समाज कल्याण आदि विभागों से संसाधन/जानकारी एकत्र करना।

☞ उद्देश्य, आपेक्षित परिणाम परक कार्य योजना तैयार करना।

☞ विद्यालय जागरूकता/आई.ई.सी. – स्कूल जलापूर्ति, स्वच्छता और हाईजीन शिक्षा द्वारा व्यवहार परिवर्तन तथा सहभागिता सुनिश्चित करना।

☞ ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल स्वच्छता क्लब, पी.टी.ए., छात्रों और समुदाय को प्रेरित कर स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाने हेतु बाउण्डरी वाल (घेराबन्दी) वृक्षारोपण तथा स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव में सहयोग सुनिश्चित करना।

☞ स्कूल के छात्र–छात्राओं, अध्यापकों, मातृ समूह, ग्राम संचार दल के माध्यम से ग्राम सम्पर्क अभियान चलाकर समुदाय को स्वच्छ शौचालय, कूड़ा गढ्डा, सोख्ता गढ्डा, जल भण्डारण तथा अन्य स्वच्छता सुविधा अपनाने को प्रेरित करना।

<u>हाईजीन एजूकेशन की गतिविधियां संचालित करने हेतु दिशा निर्देश</u>

स्कूलों तथा गांव में स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि की गतिविधियां संचालित करने, जल व स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव, व्यक्तिगत स्वच्छता व्यवहार अनुश्रवण, स्वच्छता संदेशों को निचले स्तर तक सम्प्रेषित करने, आदि के सुचारू संचालन हेतु समुदाय स्तरीय समूहों का गठन किया जाता है।

<u>स्कूल स्वच्छता सुविधाओं का संचालन एवं रखरखाव</u>

☞ गुणवत्ता परक निर्माण	–	ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से
☞ दैनिक रखरखाव	–	ग्राम शिक्षा समिति/स्कूल सैनिटेशन क्लब के सहयोग से
☞ दैनिक पर्यवेक्षण	–	ग्राम शिक्षा समिति/स्वच्छता प्रभावी अध्यापक
☞ सफाई	–	छात्रों/छात्राओं का समूह (रोटेशन में)
☞ उपयोगी सामग्री की व्यवस्था (बाल्टी, मग, ब्रश, आदि)	–	ग्राम शिक्षा समिति/अभिभावक अध्यापक संघ।
☞ मरम्मत (वार्षिक)	–	ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति

आंगनवाड़ी स्वच्छता

उद्देश्य

- ☞ साबुन से हाथ धोने की सुविधा।
- ☞ खेलने का स्थान मानव तथा जानवरों के मल से मुक्त हो।
- ☞ बेबी फ्रेन्डली शौचालयों का निर्माण।
- ☞ व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता–बच्चों तथा माताओं की।
- ☞ खान–पान की स्वच्छता ।
- ☞ बच्चों व माताओं का स्वच्छ व्यवहार।
- ☞ ओ.आर.एस. की उपलब्धता।

बाल मैत्रिक शौचालय में ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

- ☞ जाने का रास्ता खुला एवं साफ हो।
- ☞ छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग – अलग दिशा में गेट हों।
- ☞ दरवाजे की कुंडी व तालों की ऊंचाई उचित हो।
- ☞ सीढ़ी की ऊंचाई उचित हो।
- ☞ दरवाजों का वजन अधिक न हो।
- ☞ कपड़ा टांगने की खूंटी लगी हो।
- ☞ नल के टैप ठीक हों तथा खोलसा आसान हो।
- ☞ हाथ धोने की सुविधा की ऊंचाई का ध्यान रखा जाए।
- ☞ पानी व अन्य सफाई सामग्री की उपलब्धता हो।
- ☞ विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्था हो।

शौचालय निर्माण

- ☞ शौचालय की लागत रू. 5,000 होगी। जिसमें रू. 3,000 केन्द्रांश तथा + रू. 2000 राज्यांश अंश होगा।
- ☞ शौचालय में बेबी फ्रेन्डली पैन का प्रयोग होगा।
- ☞ बच्चों के आर्कषण हेतु जानवरों, फूलों आदि का चित्रण हो।
- ☞ पैन के बगल की दिवाल पर हैण्डिल लगा हो जिससे यदि बच्चे को डर लगे तो उसे पकड़ कर बैठ सके।
- ☞ शौचालय में जाने हेतु सीढ़ी छोटी हो।
- ☞ रोशनदान की पूर्ण व्यवस्था हो।
- ☞ निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री के सहयोग से किया जाय।
- ☞ दरवाजे में कुंडी की ऊंचाई कम हो ताकि बच्चे आसानी से खोल सकें।
- ☞ दरवाजे में ऐसी व्यवस्था हो जिससे आवश्यकता पड़ने पर कुंडी बाहर से खोली जा सके।
- ☞ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स

कहां पर

- ☞ सार्वजनिक स्थलों यथा हाट–बाजारों, मेलों में उपयोगार्थ।
- ☞ गरीब समुदाय के लिए जहां पर व्यक्तिगत शौचालय हेतु स्थान उपलब्ध न हो।
- ☞ जहां पर पानी का श्रोत काफी दूर हो।
- ☞ ग्राम पंचायत/स्वयं सहायता समूह रखरखा की जिम्मेदारी लें।

स्थल चयन

- ☞ जहां महिलाओं के लिए प्रयोग किसी भी समय सुरक्षित हो।
- ☞ आबादी में या आबादी के निकटतम हो।
- ☞ पानी का श्रोत उपलब्ध हो।
- ☞ स्थल चयन ग्राम पंचायत द्वारा समुदाय के परामर्श से किया जाएगा।

डिजाइन

- ☞ प्राइवेसी का ध्यान रखा जाय।
- ☞ रोशनदान तथा रोशनी की व्यवस्था हो।
- ☞ कपड़ा धोने का चबूतरा हो।
- ☞ नहाने की सुविधा/बाथरूम हो।
- ☞ महिलाओं के प्रयोगार्थ इन्सीनरेटर होना चाहिए।
- ☞ बायोगैस से जोड़ा जाए।
- ☞ साफ सफाई एवं रखरखाव आसान हो।
- ☞ बेकार पानी की निकासी की उचित व्यवस्था हो।
- ☞ समुचित संख्या में शौचालय तथा मूत्रालय हों।
  लागत रू. 2 लाख तक (अधिक धनराशि ग्राम पंचायत लगा सकती है) जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश + 20 प्रतिशत राज्यांश + 20 प्रतिशत ग्राम पंचायत अंश होगा।

रखरखाव

- ☞ किसी स्वयं सहायता समूह द्वारा रखरखाव की जिम्मेदारी ली जा सकती है।
- ☞ स्व्यं सहायता समूह को रखरखाव का उचित प्रशिक्षण दिया जाए।
- ☞ उपभोक्ताओं से शुल्क निर्धारित किया जाए।
- ☞ लेखों का रखरखाव स्वयं सहायता समूह करे।
- ☞ कॉम्पलेक्स का प्रबन्धन स्वयं सहायता समूह करे।
- ☞ आमदनी का श्रोत भी हो सकता है।
- ☞ हाईजीन प्रमोशन हेतु सेनीटरी नैपकिन्स एवं इन्सीनरेटर का प्रयोग महिलाओं द्वारा किया जाए।

ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र

ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र क्या है ?

- ☞ ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र एक सामाजिक एवं व्यवसायिक केन्द्र है जहां पर शौचालय में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के साथ अन्य स्वच्छता सामग्री जैसे साबुन, शौचालय ब्रश, वाटर फिल्टर, डण्डीदार लोटा, फिनायल, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन की गोली, धूम्र रहित चूल्हा निर्माण सामग्री, ओ.आर.एस. पैकेट, हैण्ड पम्प के स्पेयर पार्टस आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।
- ☞ ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र की स्थापना पंचायत उद्योग, स्वयं सहायता समूह, आदि कर सकते हैं।

ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र को क्या करना चाहिए ?

- ☞ ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने हेतु प्रेरकों के सहयोग से अर्न्तवैयक्तिक सम्प्रेषण करना तथा समुदाय द्वारा शौचालयों की मांग सृजन करना।
- ☞ कम लागत के शौचालय सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  प्रशिक्षित राज मिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा स्थानीय प्रेरकों से सम्पर्क स्थापित करना ताकि राज मिस्त्री का ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर सके।
- ☞ शौचालय सामग्री की उपलब्धता के साथ उसका ग्राम पंचायतों के सहयोग से वितरण, निर्माण एवं गुणवत्ता परीक्षण करना।
- ☞ शौचालय सामग्री की उपलब्धता के साथ उसका ग्राम पंचातयों के सहयोग से वितरण, निर्माण एवं गुणवत्ता परीक्षण करना।
- ☞ ग्रामीण स्वच्छता केन्द्रों पर 2 प्रबन्धकों की तैनाती जिसे रू. 700 प्रति माह फिक्स तथा माह में की गई बिक्री से प्राप्त लाभांश का एक निश्चित प्रतिशत अंश इस प्रकार दिया जाए कि आर.एस.एम. वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ बना रहे।
- ☞ आर.एस.एम. से जुड़े प्रेरकों, मिस्त्रियों को सामग्री की बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि दी जा सकती है।
  आर.एस.एम. की आय एवं व्यय में इस प्रकार बैलेन्स बना रहे कि आर.एस.एम. वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो। आय से ज्यादा व्यय कदापि नहीं हो।
- ☞ आर.एस.एम. द्वारा अधिक लाभ अर्जित करने हेतु उच्च कोटि के इण्डिया मार्क।। एवं पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य सामग्री की बिक्री भी की जा सकती है।
- ☞ आर.एस.एम. में रूरल सैनीटरी पैन की समुचित मात्रा में उपलब्धता हो।

सुदृढ़ सप्लाई चेन

- ☞ वर्ष 2012 तक प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए प्रति वर्ष लगभग 25 लाख शौचालयों (ए.पी.एल. व बी.पी.एल.) के निर्माण की आवश्यकता होगी जिसके लिए शौचालय सेटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।
- ☞ प्रत्येक जनपद में एक नोडल आर.एस.एम. स्थापित किया जाना चाहिए जो सेनीटरी वेयर मैन्युफैक्चरर्स से सम्पर्क स्थापित कर रूरल पैन की उपलब्धता जनपद स्तर पर सुनिश्चित करेगी। उत्पादकों की सूची पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट www.ddws.nic.in पर उपलब्ध है।

आर.एस.एम. स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था

केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार एक आर.एस.एम. एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना हेतु अधिकतम रू. 3.50 लाख की धनराशि दी जा सकती है जिसकी फांट निम्नप्रकार हो सकती है :–

	कार्य		लागत (रू.)
☞	वर्क शेड, क्योरिंग टैंक तथा जलश्रोत का निर्माण	अनुमानित	1,00,000
☞	मोल्ड का क्रय	अनुमानित	6,000
☞	राज मिस्त्रियों व प्रेरकों का प्रशिक्षण	अनुमानित	12,000
☞	आई.ई.सी. सामग्री	अनुमानित	14,000
☞	दुकान का किराया (दो वर्ष हेतु)	अनुमानित	12,000
☞	रिवाल्विंग फण्ड	फिक्स	1,00,000
☞	मैनेजेरियल सहायता (दो वर्ष हेतु दो प्रबन्धक)	फिक्स	36,000
		योग	**2,80,000**

उक्तानुसार प्रत्येक आर.एस.एम. की विस्तृत कार्य योजना का आगणन सहित अनुमोदन जिला स्वच्छता समिति से प्राप्त करना अनिवार्य है। जिला स्वच्छता समिति यदि आवश्यक समझेगी तो वर्क शेड के लिए आगणन एवं डिजाइन के आधार पर धनराशि में वृद्धि या कम कर सकती है और यदि आवश्यकता नहीं है तो उसे समाप्त कर सकती है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

मासिक अनुवण प्रपत्र

ग्राम पंचायत स्तर पर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की प्रगति का विवरण प्रेषित करने हेतु प्रारूप निर्धारित किए गये हैं :–

- ☞ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान – ग्राम प्रेरक का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 22 तारीख तक पूर्ण कर क्षेत्रीय ग्राम पंचायत अधिकारी/पंचायत सचिव को उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु प्रेरक को प्रतिमाह निर्मित शौचालय पर रू. 10 प्रोत्साहन धनराशि दिया जाएगा।
- ☞ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान – ग्राम पंचायत अधिकारी/पंचायत सचिव/सम्पर्क अधिकारी का मासिक प्रतिवेदन। प्रत्येक माह की 25 तारीख तक दो प्रतियों में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत किया जाएगा जो एक प्रति संकलित विवरण के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
- ☞ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/विशेष प्रोत्साहन योजना/स्कूल शौचालय/आंकनबाड़ी शौचालय/प्रेरक प्रोत्साहन धनराशि – वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन।
  प्रत्येक माह की 25 तारीख तक दो प्रतियों में ब्लाक प्रेरक के सहयोग से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा तैयार किया जाएगा तथा एक प्रति एकत्रित विवरण सहित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

सामायिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- ☞ जनपद में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का त्रैमासिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा मूल्यांकन में पायी गयी कमियों का निराकरण निराकरण किया जाता है। मूल्यांकन डिवीजनल सैनिटेशन सेल द्वारा त्रैमास में एक बार अवश्य कराया जाएगा। जिला स्वच्छत समिति स्वयं के स्तर पर भी किसी शासकीय एजेंसी/गैस शासकीय एजेंसी से कार्यक्रम का मूल्यांकन करा सकेगी।
- ☞ राज्य स्तर से कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु टीमों का गठन किया गया है जिसके द्वारा समस्त गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट जनपद के सम्बन्ध में वर्ष में दो बार प्रस्तुत की जायेगी।

निर्मल ग्राम पुरस्कार

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत जनपद की ऐसी ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजे जाते हैं जो पात्रता की नीचे दी हुईं शर्तों/मानकों को पूरा करती हों, जिनका अनुश्रवण भारत सरकार द्वारा अनुबंधित मूल्यांकन टीम द्वारा किया जाता है, जिसके आधार पर महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार के द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना में सफल ग्राम पंचायतों के प्रधानों अथवा प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया जाता है तथा पुरस्कृत ग्राम

पंचायतों को भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों (स्वच्छता सम्बन्धी) के लिए दी जाती है।

पात्रता

निर्मल ग्राम पंचायत हेतु शर्तें/मानक निम्नलिखित हैः–

☞ खुले में शौच रहित पंचायत
☞ सभी परिवारों के पास शौचालय सुविधा।
☞ सभी विद्यालयों में छात्रों व छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय एवं मूत्रालय।
☞ आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल उपयोगी शौचालय।
☞ ग्राम में पर्यावरणीय स्वच्छता।
☞ शौचालयों का उपयोग एवं नियमित रखरखाव/सफाई।

पुरस्कार धनराशि

ग्राम पंचायत – 1 से 1000 तक की जनसंख्या पर 50,000 रू. पुरस्कार धनराशि।
1001 से 2000 तक की जनसंख्या पर 1,00,000 रू. पुरस्कार धनराशि।
2001 से 5000 तक की जनसंख्या पर 2,00,000 रू. पुरस्कार धनराशि।
5001 से 10000 तक की जनसंख्या पर 4,00,000 रू. पुरस्कार धनराशि।

क्षेत्र पंचायत – 50000 की जनसंख्या तक 10,00,000 रू. पुरस्कार धनराशि तथा 50000 से अधिक जनसंख्या को 20,00,000 रू. की पुरस्कार धनराशि ।

जिला पंचायत – 1000000 की जनसंख्या तक 30,00,000 रू. पुरस्कार धनराशि तथा 1000000 से अधिक जनसंख्या को 50,00,000 रू. की पुरस्कार धनराशि ।

ग्राम पंचायतों को धनराशि आवंटन

ग्राम पंचायत को निम्नलिखित कार्यों हेतु टी.एस.सी. के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की जाएगी।

☞ व्यक्तिगत शौचालय निर्माण
☞ स्कूल शौचालय निर्माण
☞ आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण।
☞ सामुदायिक शौचालय निर्माण।
☞ प्रेरक प्रोत्साहन धनराशि।
☞ प्रेरक मासिक प्रतिवेदन प्रोत्साहन धनराशि।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत अन्य किसी भी जानकारी के लिए निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्पर्क करें :–

01. श्री ओमप्रकाश सिंह जिला पंचायत राज अधिकारी, ज्योतिबाफूले नगर–9758855080
02. श्री बलवीर सिंह लेखालिपिक, कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, ज्योतिबाफूले नगर–9358884995
03. श्री राजीव खान जिला परियोजना समन्व्यक, ज्योतिबाफूले नगर–9997106438
04. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह जिला परियोजना समन्व्यक, ज्योतिबाफूले नगर–9452703207

* * * * * * * * * * * * * *